कार्यालय जिला पंचायत रायपुर

वतन अंगनाथ चन्द्राकर
B.E. (Mech), MBA (Finance), MA (English)
सदस्य - जिला पंचायत रायपुर

निवास :
ग्राम व पो. - रसनी, वि.खं.-आरंग
जिला-रायपुर (छ.ग.) 493441

मो. 98261-31329   ईमेल : vatanchandrakariyc@gmail.com

क्रमांक VC/033 दिनांक 30/07/2026

प्रति,

कलेक्टर महोदय जी
रायपुर (छ.ग.)

विषय – संयुक्त खातेदार किसानों के एग्री स्टैक पंजीयन की तिथि बढ़ाने एवं पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि वर्तमान खरीफ सीजन में एग्री स्टैक किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किंतु जिले के बड़ी संख्या में संयुक्त खातेदार किसान तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं के कारण समय पर अपना पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं।इस संबंध में आज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार महोदय से चर्चा करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि आज की स्थिति में संयुक्त खातेदार किसानों में केवल लगभग *5 प्रतिशत का ही एग्री स्टैक पंजीयन हो पाया है, जबकि लगभग 65 प्रतिशत संयुक्त खातेदार अब भी पंजीयन से वंचित हैं।पंजीयन नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि अनेक संयुक्त खातेदारों की ऋण पुस्तिका (बी-1) में उनके नाम क्रमांक (सीरियल) में दर्ज न होकर केवल 'डेस' में अंकित हैं। इस तकनीकी स्थिति के कारण संबंधित किसानों के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे उनका एग्री स्टैक पंजीयन पूर्ण नहीं हो रहा। परिणामस्वरूप किसान लगातार सहकारी समितियों एवं चॉइस सेंटरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं तथा मानसिक रूप से अत्यंत परेशान एवं चिंतित हैं।यदि *1 जुलाई तक इन किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया तो बड़ी संख्या में वास्तविक किसान आगामी धान खरीदी में अपनी उपज बेचने से वंचित हो सकते हैं। साथ ही वे शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं के लाभ से भी वंचित होने की आशंका है।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि—संयुक्त खातेदार किसानों के एग्री स्टैक पंजीयन की अंतिम तिथि कम से कम एक माह बढ़ाई जाए।संयुक्त खातेदारों के पंजीयन हेतु सरल एवं व्यावहारिक नियम लागू किए जाएं, ताकि तकनीकी कारणों से कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे।राजस्व एवं कृषि विभाग के माध्यम से विशेष शिविर लगाकर शेष किसानों का क्रमबद्ध एवं सुगमता से पंजीयन कराया जाए।हमें पूर्ण विश्वास है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय में शीघ्र आवश्यक निर्णय लिया जाएगा, जिससे कोई भी किसान धान बेचने एवं शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।